

उपस्थिति:

1. प्रबंध निदेशक, बियाडा।
2. आंतरिक वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, पटना।
3. अध्यक्ष, बिहार प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना के प्रतिनिधि।
4. अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्रीज, पटना।
5. अध्यक्ष, सी.आई.आई., पटना।
6. कार्यकारी निदेशक, बियाडा क्षेत्रीय कार्यालय पटना/ मुजफ्फरपुर।
7. कार्यकारी निदेशक, बियाडा क्षेत्रीय कार्यालय दरभंगा/ भागलपुर।

कार्यवाही

1. बैठक में सरकार द्वारा अधिसूचित भूआवंटन नीति 2013(ज्ञापांक 5390 दिनांक 19.12.13) पर विचार-विमर्श किया गया। भूआवंटन हेतु निर्धारित पात्रता एवं अंक प्रदान करने की पद्धति के कारण, अच्छे एवं बड़े उद्योगों को भूआवंटन में कठिनाई होती है। अतएव, इस आवंटन नीति को और व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता महसूस की गई।
2. तदनुसार निर्णय लिया गया कि-पूर्व के भूआवंटन नीति को और सरल तथा व्यवहारिक बनाने हेतु बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्रीज तथा बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्ताव तैयार कर बियाडा को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे पी.सी.सी. के समक्ष आगामी बैठक में विचारार्थ रखा जायेगा।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।


ह0/-

प्रबंध निदेशक।

दिनांक..11/05/17

ज्ञापांक. 211/0...../12/DEV/BIADA/2017

प्रतिलिपि:- पी.सी.सी. के सभी सदस्यों/ विशेष कार्य पदाधिकारी-सह- जन संपर्क पदा0, बियाडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
कार्यकारी निदेशक।

o/c